

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
लोकअदालत, मुकाम चूरु

ब इजलास : श्री सक्षम गोयल आई.ए.एस.

मो. मोहम्मद हुसैन खां पुत्र श्री अब्बु खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 18, नूर मस्जिद के पास, खेमका पेट्रोल पम्प के सामने वाली गली, चूरु (राजस्थान)

-वादी-

बनाम

1. मोहीदीन खां पुत्र श्री अब्बु खां जाति कायमखानी पेशा मजदूरी निवासी वार्ड संख्या 18, नूर मस्जिद के पास, खेमका पेट्रोल पम्प के सामने वाली गली, चूरु तहसील व जिला चूरु (राज.)
2. मोहम्मद रमजान खां पुत्र अब्बु खां जाति कायमखानी निवासी वार्ड संख्या 18, नूर मस्जिद के पास, खेमका पेट्रोल पम्प के सामने वाली गली, चूरु (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरु

-प्रतिवादीगण-

दावा अन्तर्गत धारा 53, आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 165 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री सुरेन्द्र राहड़ एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री सलीम खान एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 1027 तादादी 3.1446 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1028 तादादी 2.9593 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1029 तादादी 1.6567 हैक्टेयर वाके रोही कस्बा चूरु तहसील चूरु की कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर खाते व लगान अलग-अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:-


क्र. सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में	किस्म भूमि
1.	मोहम्मद रमजान खां पुत्र अब्बु खां जाति कायमखानी निवासी चूरु	1029 मी. 1027 मी. 1028 मी.	1.6567 0.1305 0	बारानी बारानी बारानी



		किता-3	2.6065	बारानी
2.	मोहीदीन खां पुत्र श्री अब्बु खां जाति कायमखानी निवासी चूरु	1028 मी.	2.0240	बारानी
		1027 मी.	0.5825	बारानी
		किता-2	2.6065	बारानी
3.	मो. मोहम्मद हुसैन खां पुत्र श्री अब्बु खां जाति कायमखानी निवासी चूरु	1027 मी.	0.6250	बारानी
		1027 मी.	1.9816	बारानी
		किता-2	2.6066	बारानी
4.	प्रस्तावित रास्ता	1027 मी.	0.0950	गै.मु.रास्ता
		1028 मी.	0.1160	गै.मु.रास्ता
		किता-2	0.2110	गै.मु.रास्ता

तहसीलदार, चूरु को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09 माह मार्च सन् 2024 को जारी की गई।


 (सक्षम गोयल)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी,
 चूरु